2005-06 रेलवे बजट की विशेषताएं

प्रस्तावना

❖ रेलवे परिवहन के क्षेत्र में अपनी हिस्सेदारी को समग्र रूप से बढ़ाने के लिए माल यातायात क्षेत्र में वाणिज्यिक, परिचालनिक और निवेशपरक उपाय करेगी. यात्री सेवाओं को और अधिक सुचारू बनाने तथा उनकी गुणवत्ता में दृष्टिगोचर सुधार लाने के लिए भी कार्य करेगी.

2004-05 में निष्पादन की समीक्षा

❖ प्रथम 9 महीनों में लदान में 7.67% वृद्धि, मालभाड़ा लदान में संशोधित लक्ष्य 580 मिलियन टन(एमटी) से बढ़ाकर 600 एमटी किया गया है, जोकि पिछले वर्ष की तुलना में 43 एमटी की वर्धमान लदान दर्शाता है. माल यातायात आमदनी का लक्ष्य 28,745 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 30,450 करोड़ रुपए किया गया है.

❖ 2004-05 में ही दसवीं योजना के अंतिम वर्ष के लिए निर्धारित 396 बिलियन टन किलोमीटर के लक्ष्य को प्राप्त कर लिया जाएगा.

❖ प्रारंभिक यात्री यातायात में 3% के बजट लक्ष्य की तुलना में लगभग 6% की वृद्धि.

❖ कुल आमदनी में पिछले वित्तीय वर्ष में 4.1% की दर्ज वृद्धि की तुलना में दिसम्बर, 2004 के अंत में 8.3% वृद्धि हुई, संशोधित अनुमान में कुल आमदनी 46,635 करोड़ रुपए निर्धारित की गई - बजट अनुमानों से 1,838 करोड़ रुपए अधिक.

❖ साधारण संचालन व्यय में 400 करोड़ रुपए की वृद्धि, खासतौर से ईंधन कीमतों में वृद्धि की वजह से हुई.

❖ परिचालन अनुपात बजट अनुमान के 92.6% से सुधर कर 91.2% हो गया.

❖ निधि अवशेष 6,963 करोड़ रुपए के संतोषजनक स्तर पर होने की आशा है.

बजट 2005-06

माल यातायात व्यवसाय-पहलकदमियां

❖ उत्पादकता और कार्यक्षमता बढ़ाकर थ्रूपुट बढ़ाने की योजनाएं

❖ मालडिब्बों के टर्न राउंड की समयावधि मौजूदा वर्ष के 6 दिन से घट करके निकट भविष्य में 5 दिन हो जाने की आशा है.

❖ मालडिब्बों की सप्लाई के लिए यातायात वरीयता अनुसूची को युक्तिसंगत एवं सरल बनाया गया है, ईओएल योजना मालडिब्बा निवेश योजना आदि अपनाने वाले ग्राहकों को उसी श्रेणी के भीतर उच्चतर वरीयता दी जा रही है.

❖ जहां यातायात की दृष्टि से आवश्यक हो वहां विद्युतीकृत खंडों पर अवस्थित डीजल साइडिंगों का रेलवे की लागत पर विद्युतीकरण किया जाएगा.

❖ इंजन ऑन लोड योजना को और अधिक उदार एवं आकर्षक बनाया गया है, यह योजना चुनिंदा गुड्स शेड और बिना निजी साइडिंगों वाले ग्राहकों को भी दी गई है.

- टर्मिनलों पर रूकौनी में कमी लाने के लिए उद्योग के साथ परामर्श करके नगद प्रोत्साहन सहित टर्मिनल प्रोत्साहन योजना शुरू की जाएगी.
- जांच तथा अनुरक्षण पद्धतियों में गुणात्मक सुधार लाने के लिए तथा दो जांचों के बीच अधिक अन्तराल देने के लिए मालगाड़ी जांच केंद्रों में उपलब्ध सेवाओं को अपग्रेड किया जाएगा.
- विलम्ब/स्थान शुल्क के नियमों तथा लदान/उतराई के नियमों को युक्तिसंगत बनाना.
- मेकेनाइज्ड लोडिगं तथा राउंड द क्लॉक वर्किंग का उपयोग करने वाले ग्राहकों को प्रोत्साहन.
- बीटीपीएस के लिए लागू इलैक्ट्रानिक पेमेंट गेटवे की सुविधा प्रमुख ग्राहकों को भी जाएगी.

सार्वजनिक निजी भागीदारी

- माल ग्राहकों को लागत में भागीदारी के माध्यम से उन्हें साइडिंग का विकास करने के लिए प्रोत्साहित करना.
- ग्राहकों को एकल खिड़की सेवा मुहैया कराने के लिए एकीकृत माल गोदाम परिसरों के विकास की योजना.
- कंटेनर यातायात में बढ़ते हुए यातायात को पूरा करने के लिए कॉनकोर के अलावा अन्य संगठनों पर भी विचार किया जा रहा है.
- उत्तरी भारत को गुजरात के साथ जोड़ने के लिए पहचाने गए एक मार्ग पर दो मंजिल कंटेनर गाड़ियों की शुरूआत करने पर विचार किया जा रहा है.
- अतिरिक्त संसाधन जुटाने के लिए बेकार पड़ी हुई रेल भूमि का विकास करने के लिए रेल भूमि विकास प्राधिकरण की स्थापना की जा रही है.
- विभिन्न ब्रॉड बैंड सुविधाओं की व्यवस्था करके रेलटेल द्वारा अपने अपग्रेड किए गए ओ एफ सी नेटवर्क का दोहन करना.

पार्सल व्यवसाय में पहलकदमियां

- अधिक यातायात आकर्षित करने के लिए कतिपय नामित किए गए गाड़ियों में पार्सल स्पेस को अतिरिक्त रूप से पट्टे पर देना.
- एसएलआर कोच के आगे गार्ड के खाली डिब्बे को भी लीज पर दिया जाएगा.
- अल्पावधि लीज एवं निम्नतर लीज कीमत पर विचार किया जा रहा है-ऐसी गाड़ियों के लिए जहां एसएलआर का उपयोग कम हो पा रहा है.

यात्री व्यवसाय - पहलकदमियां तथा सुविधाएं

- दूरभाष सं. 139 को डायल करके स्थानीय कॉल दरों पर सारे देश में एन्क्वायरी का विस्तार.
- लैंडलाइन फोन के माध्यम से भी टिकटों की बुकिंग, इंटरनेट के माध्यम से बुकिंग का समय बढ़ाया गया और यह सुबह 4.00 से रात 11.30 बजे तक होगा और इस बीच कोई ब्रेक नहीं होगा.
- आरक्षण स्थिति की अग्रिम सूचना, खाली शायिकाओं की स्थिति दर्शाना, मुंबई उपनगरीय यात्रियों के लिए इंटरनेट पर सीजन टिकटों का नवीकरण.

❖ यात्री आरक्षण प्रणाली सुविधा को और विस्तारित करना, बचे हुए जिला मुख्यालयों के 45 स्थानों पर 2005-06 तक यह कार्य करना और शेष को अगले वर्ष पूरा करना.

❖ अनारक्षित प्रणाली का 300 स्थानों पर विस्तार, कुल संख्या 400 से ऊपर हो जाएगी.

एम आई एस की ओर बढ़ते कदम

❖ यूटीएस, पीआरएस और एफओआईएस से विकसित डाटा वेयरहाऊस के माध्यम से एमआईएस, 15 मंडलों पर कंट्रोल चार्टिंग प्रणाली का क्रियान्वयन, एकीकृत कंप्यूटरराइज्ड गाड़ी कर्मीदल प्रबंधन प्रणाली विकसित की जाएगी.

❖ सी ओ आई एस समय-सारणी मॉड्यूल को तैयार किया जा रहा है, आगामी वर्ष में इसे वैब आधारित किया जाएगा.

❖ रेल दावा अधिकरणों और गुड्स रिफंड कार्यालयों का ऑनलाइन पंजीकरण और दावों का तुरंत निपटान करने के लिए उनका कंप्यूटरीकरण. दावा प्रबंधन प्रणाली को वैब आधारित बनाया जाएगा.

समेकित रेलवे आधुनिकीकरण योजना (आई आर एम पी)

❖ 24,000 करोड़ रुपए की लागत की पांच वर्षीय एकीकृत रेलवे आधुनिकीकरण योजना तैयार की गई.

❖ इस योजना के तहत 150 किमी. प्रति घंटा की रफ्तार से यात्री गाडियां चलाने, स्वर्णिम चतुर्भज एवं विकर्णों पर 100 किमी. प्रति घंटा की रफ्तार से मालगाड़ियां चलाने, उच्चतर एक्सल भार की शुरूआत, डबल स्टैक कंटेनर, हल्के भार वाले जंग रहित एल्यूमिनियम वाले माल डिब्बे, रेलपथ, पुल, सिगनलिंग एवं दूरसंचार का आधुनिकीकरण आदि की परिकल्पना की गई है.

लेखांकन संबंधी प्रयास

❖ लेखांकन के सुधारों की प्रक्रिया जारी, पट्टा प्रभारों के उचित व्यवहार के लिए लेखांकन प्रणाली में आशोधन ताकि ऐसे लेनदेन की वास्तविक प्रकृति एवं रेलवे राजस्व में ऐसी परिसंपत्तियों के योगदान की वस्तुस्थिति का पता चल सके.

❖ भारतीय रेल के पूंजी संरचना को युक्तिसंगत बनाना, किसी भी एक आईआईएम पर रेल वित्त में एक पीठ की स्थापना, पेंशन दायिता के वास्तविक रूप से आकलन का प्रस्ताव.

खरीद और बिक्री में पारदर्शिता

❖ स्वस्थ प्रतिस्पर्धा के लिए नए आपूर्तिदाताओं को शामिल करना, प्रापण को अधिक किफायती बनाया जाएगा.

संरक्षा

❖ परिणामी गाड़ी दुर्घटनाओं की संख्या में कमी.

❖ विशेष रेल संरक्षा निधि के अंतर्गत स्वीकृत कार्यो की संतोषजनक प्रगति.

❖ चिकित्सा राहत गाड़ी और पुर्नवास के लिए उपस्कर ले जाने वाली गाड़ियों को 100 किमी. प्रतिघंटे की रफ्तार से चलाने के लिए उनका उन्नयन किया गया.

- रेलपथ की बेहतर मॉनीटरिंग और अनुरक्षण के लिए अत्याधुनिक ट्रैक रिकार्डिग कार का प्रयोग.
- टक्करों से बचाव के लिए भारतीय रेलवे पर पूर्वोत्तर सीमांत में अभिकल्पित पहले टक्कररोधी उपकरण युक्त खंड के मार्च, 2005 तक तैयार होने की संभावना है.

सुरक्षा

- यात्रियों और उनके सामान की सुरक्षा में सुधार के लिए रेल सुरक्षा बल में रिक्तियों को भरने के लिए भर्ती अभियान एवं आधुनिकीकरण योजना पूरे जोर से चल रही है.

रियायतें

- राज्य सरकारों की नौकरियों के लिए साक्षात्कारों में भाग लेने वाले बेरोजगार युवाओं को द्वितीय श्रेणी में पूरी रियायत.
- किसानों और दुग्ध उत्पादकों को राष्ट्रीय स्तर के संस्थानों में प्रशिक्षण/बेहतर खेती संबंधी पद्धतियां सीखने/दुग्ध उत्पादन के लिए द्वितीय श्रेणी की यात्रा में 50 % रियायत.
- ग्रामीण क्षेत्र के सरकारी विद्यालयों के छात्रों को वर्ष में एक बार अध्ययन दौरे के लिए द्वितीय श्रेणी में 75% रियायत.
- व्यवसायिक पाठ्यक्रमों के लिए राष्ट्रीय स्तर की प्रवेश परीक्षाओं में भाग लेने के लिए ग्रामीण क्षेत्र में पढ़ने वाली सरकारी विद्यालयों की छात्राओं को द्वितीय श्रेणी में 75% की रियायत.
- अधिसूचित किए गए मामलों में राहत सामग्री का प्राथमिकता एवं निःशुल्क आधार पर पारवहन, फंसे हुए लोगों को निकालने के लिए द्वितीय श्रेणी की मुफ्त यात्रा.
- मुख्य सरकारी अस्पतालों में उपचार करा रहे मरने वाले रोगियों के पार्थिव शरीर को ले जाने के लिए सामान्य दर-सूची में 50% की रियायत.

भर्ती

- रेल भर्ती बोर्ड के स्थान पर फील्ड इकाइयों द्वारा समूह 'घ' के लिए भर्ती.

आरक्षण

- रेल सेवाओं में अनूसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग का उचित प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने के लिए विशेष अभियान चलाना.
- कमजोर वर्ग के अंतर्गत आने वाले व्यक्तियों को 'क' 'ख' और 'ग' श्रेणियों के स्टेशनों पर छोटी खानपान इकाइयों को लाइसेंस देने में 25% आरक्षण और अन्य श्रेणियों के स्टेशनों पर 49.5% का आरक्षण.
- कमजोर वर्गों को नई बुक स्टॉल नीति के अनुसार भी 25% आरक्षण दिया जाएगा.

कर्मचारी कल्याण

❖ समवेत कल्याणकारी कार्यक्रम तैयार किया जा रहा है, जिसमें कर्मचारी के क्वार्टरों में सुधार लाने के लिए 10 वर्षीय योजना शामिल होगी.

❖ स्वास्थ्य इकाईयों/अस्पतालों का उन्नयन

पर्यावरणीय अनुकूल उपाय

❖ खान-पान नीति के तहत दुग्ध उत्पादों की बिक्री के लिए प्रावधान

❖ 2005-06 में प्रत्येक क्षेत्रीय रेलवे के कम से कम एक स्टेशन पर 'क्लीन ट्रेन स्टेशन प्रणाली' लागू करना तथा मुंबई उपनगरीय गाड़ियों के लिए स्टेनलेस स्टील के ईएमयू सवारी डिब्बे.

❖ कंपोजिट स्लीपर का विकास

यात्री सेवाएं

❖ 2005-06 में नई सेवाएं :-

54 जोडी नई गाड़ियां शुरू की जाएंगी

28 जोड़ी गाड़ियों का चालन क्षेत्र बढ़ाया गया

10 जोड़ी गाड़ियों के फेरों में वद्धि

❖ 30 गाड़ियों की रफ्तार बढ़ायी गई

❖ कम लोकप्रिय गाड़ियों की समीक्षा.

❖ अधिक लोकप्रिय गाड़ियों में लगभग 400 अतिरिक्त सवारी डिब्बे लगाए जाएंगें.

सर्वेक्षण

❖ पिछले बजट में घोषित किए गए 72 सर्वेक्षणों के अलावा, 20 और सर्वेक्षणों की स्वीकृति, इस वर्ष इनमें से 27 सर्वेक्षण पूरे किए जा चुके हैं, शेष प्रगति पर है.

❖ 2005-06 में 41नए सर्वेक्षण तथा 17 सर्वेक्षणों को अद्यतन किया जाना है.

नए संयंत्र

❖ छपरा में पहिया विनिर्माण संयंत्र स्थापित करने संबंधी कार्य को बजट में शामिल किया गया है.

❖ 12 नए कंक्रीट स्लीपर संयंत्रों को स्थापित करने के लिए विचार किया गया है. तात्कलिक आवश्यकता के आधार पर पांच संयंत्र दौरम मधेपुरा, चक सिकंदर, सीतामढ़ी, पालघाट एवं हरिहर में.

❖ ये 12 संयंत्र पहले स्वीकृत किए गए 3 कंक्रीट स्लीपर संयंत्रों के अलावा हैं, जिनमें बित्रागुंटा शामिल है.

वार्षिक योजना - 2005-06

❖ 15,349 करोड़ रुपए का योजना परिव्यय, जिसमें शामिल हैं :

- ➢ सामान्य राजकोष से 7230.81 करोड़ रुपए (विशेष रेल संरक्षा निधि से 2699 करोड़ रुपए तथा केंद्रीय सड़क निधि से 710.81 करोड़ रुपए सहित)
- ➢ आंतरिक संसाधनों से 4718.19 करोड़ रुपए.
- ➢ बाजार ऋण के माध्यम से 3400 करोड़ रुपए

❖ इसके अलावा, रेलों को वित्तीय दृष्टि से अर्थक्षम योजनाओं के लिए 3000 करोड़ रुपए की सीमा तक परियोजनापरक आधार पर अतिरिक्त बजटीय संसाधनों का उपयोग करने की अनुमति दी गई है.

❖ थ्रूपुट संवर्धन कार्यों, संरक्षा तथा विकासात्मक कार्यों पर जोर दिया गया है.

❖ जम्मू कश्मीर/पूर्वोत्तर क्षेत्रों में राष्ट्रीय परियोजनाओं के लिए 1365 करोड़ रुपए की अतिरिक्त निधि की व्यवस्था की गई है तथा वर्ष के दौरान रेल विकास निगम लि. से संबंधित कार्यों के लिए 358 करोड़ रुपए जारी कर दिए जाएंगें.

❖ थ्रुपुट संवर्धन संबंधी कार्यों जिसमें यातायात सुविधा संबंधी कार्य शामिल हैं, के लिए पर्याप्त निधियां उपलब्ध कराने हेतु विकास निधि में विनियोग में महत्वपूर्ण वृद्धि की गई.

परियोजनाएं

❖ आलोच्य वर्ष के दौरान प्राप्त होने वाले लक्ष्यों तथा आगामी वर्ष के लिए निर्धारित लक्ष्यों का ब्यौरा निम्नानुसार है:-

		2004-05 में संभावित	2005-06 के लिए लक्ष्य
(I)	बड़ी लाइन में कुल वृद्धि	1400 किमी.	1692 किमी.
(II)	नई लाइनें	205 किमी.	219 किमी.
(III)	आमान परिवर्तन	885 किमी.	935 किमी.
(IV)	दोहरीकरण	307 किमी.	538 किमी.
(V)	विद्युतीकरण	375 किमी.	350 किमी.

❖ कुमारघाट-अगरतल्ला तथा जिरिबाम-इम्फाल रोड (तुपूल) नई लाइन लाइन तथा लमडिंग-सिलचर- जिरिबाम आमान परिवर्तन संबंधी कार्य को राष्ट्रीय परियोजना के रूप में घोषित किया गया है.

बजट अनुमान 2005-06

❖ 635 एमटी माल लदान का लक्ष्य रखा गया है, प्रारंभिक यात्री यातायात में 4% की वृद्धि का लक्ष्य है.

❖ 50,968 करोड़ रुपए का सकल यातायात प्राप्त होने का अनुमान है, जो 2004-05 के संशोधित अनुमानों से 4183 करोड़ रुपए अधिक है.

❖ 35,600 करोड़ रुपए का साधारण संचालन व्यय होने का अनुमान है. मूल्यह्रास आरक्षित निधि में 3604 करोड़ रुपए का विनियोजन रखा गया है जो 2004-05 के बजट अनुमानों की तुलना में 60% अधिक है.

❖ 5914 करोड़ रुपए का शुद्ध राजस्व होने का अनुमान है.

❖ परिचालन अनुपात सुधरकर 90.8% होने की आशा है. जो 8 वर्षों में निम्नतम है.

माल यातायात सेवाएं

❖ माल यातायात दरों में सामान्य रूप से वृद्धि नहीं की गई है.

❖ पण्यों के संचलन के लिए दर सूची को सरल, युक्तिसंगत तथा पारदर्शी बनाया गया है. यातायात दर सूची में, मौजूदा 4000 पण्यों की तुलना में अब केवल 80 समूह के पण्य.

❖ सभी पण्यों के लिए अब माल डिब्बों की वहन क्षमता के आधार पर ही प्रभार की वसूली की जाएगी.

❖ कम भार वाले पण्यों के माल यातायात दरों में होने वाली अधिक वृद्धि से बचने हेतु 3 नई श्रेणियां अर्थात् 90-डब्ल्यू1, 90-डब्ल्यू2 तथा 90-डब्ल्यू3 शुरू की गई है.

❖ श्रेणियों की संख्या 27 से घटकर 19 हो गई है, उच्चतम श्रेणी 250 से घटकर श्रेणी 240 हो गई है. माल यातायात दर संरचना में 2 श्रेणी के बीच '10' का एक समान अंतराल कर दिया गया है. मिट्टी के तेल तथा रसोई गैस के माल यातायात दरों में कमी कर दी गई है.

❖ रासायनिक खादों के संपूर्ण समूह के लिए एकल एक समान श्रेणी 100 लागू कर दी गई है.

❖ खाद्यान तथा दालों के वर्गीकरण को संशोधित करके श्रेणी 120 कर दिया गया है. बहरहाल, सार्वजनिक वितरण प्रणाली तथा गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम तथा अन्य राहत कार्यों के रूप में ढोये जा रहे खाद्यानों पर श्रेणी-100 का शुल्क वसूला जाएगा ताकि इनकी माल यातायात दरों में होने वाली वृद्धि से बचा जा सके. खुले वैगन में ले जाने पर इन्हें श्रेणी 90 के अंतर्गत प्रभारित किया जाएगा.

❖ निर्धारित समय पर भेजे जाने वाले लौह अयस्क के माल वाहकों, जिनके इस्पात संयंत्रों में निजी साइडिंग है, को छोड़कर अन्य सभी मालवाहकों के लौह अयस्कों की ढुलाई पर श्रेणी -140 का प्रभार लगाए जाने के बजाए श्रेणी-1 60 का प्रभार लगाया जाएगा.

❖ नई 'प्रीमियम - पंजीकरण योजना' बनाई गई है - जो माल वाहक निर्धारित श्रेणी की अपेक्षा 2 स्तर उच्चतर श्रेणी पर माल ढोने के इच्छुक है उन्हें प्राथमिकता की उसी श्रेणी के अंतर्गत रेकों के आवंटन में उच्चतर वरीयता दी जाएगी.

❖ सप्ताह में दो दिन, रेकों का आबंटन कड़ाई से पंजीकरण की तिथि से.

❖ "माल डिब्बा निवेश योजना" की शुरूआत - जो ग्राहक रेलों के माल डिब्बे में निवेश कर रहे हैं, उन्हें गारंटीशुदा संख्या में रेकों की आपूर्ति सुनिश्चित की जाएगी. इस प्रकार के ग्राहको को मालभाड़ा दरों में छूट तथा उच्चतर प्राथमिकता देने की योजना पर भी विचार किया गया है.

यात्री सेवाएं

❖ यात्री किरायों में कोई वृद्धि नहीं की गई है.